



॥ बनाम ॥

=====

श्रीमति क्रिकेणी बाई पति केन्द्र सिंह लोधी उम-60 वर्ष
 साकिन- सागोरिया मो. ३. देवरी जमादार थाना तेजगढ़
 जिला दमोह मोरो

— प्रति अपीलार्थी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मोरो रु. संहिता

अपीलार्थीगण की ओर से निम्न वक्त्र है:-

1- यहाँकि, अपीलार्थी द्वारा यह अचीत राजस्व निरीक्षक मण्डल अभाना तहो दमोह के अधिग्राम अनुसार हक्क पटवारी द्वारा दि. 16.6.18 द्वारा प्रति अपीलार्थी की भूमि का गलत सीमान करने से दुष्कृत होकर

यह अपील में की गयी है।

2- यहाँकि, प्रति अपीलार्थी द्वारा उक्ती भूमि मौजा मउलाहिद धारा 24/८/१, के छासदा क्रम 13/१, 17/१, 19, 20, 21, 29, 35, 41, 264, 93, 169, 183, 199, 121, 214,

216, 228, कुल एकपा- 10.24 हेक्टेयर का सीमान राजस्व निरीक्षक मण्डल अभाना द्वारा हक्क पटवारी की देखरेख में

— 2 —
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2610—एक / 2016

जिला—दमोह

भगवान सिंह आदि विरुद्ध श्रीमती त्रिवेणी बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
07—03—2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से श्री रमाकांत बड़ौनियां अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील दमोह जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 4/अ—12/2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16—06—2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p>(3)</p>	<p>पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर</p> <p>(आर.के.जैन) 11/3/19 सदस्य</p>